

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA
PRESIDENT
Mobile : 9891008503

VISHNU BHARGAVA
Hony. General Secretary
Mobile : 9811139614

VINAY NARANG
Hony. Treasurer
Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 148

दिनांक : 2-8-2017

“ट्रेड लाइसेंस के सन्दर्भ में”

आप सभो व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 जुलाई 2017 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक अपमा कार्यालय में आयोजित ट्रेड लाइसेंस कैम्प में आकर जिन व्यापारी भाईयों ने अपने दस्तावेज जमा करवाये थे, उन सबकी रसीद शनिवार दिनांक 5 अगस्त 2017 तक बनकर आ जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि ट्रेड लाइसेंस के इंस्पेक्टर श्री अनिल यादव जी (मोबाइल नं0 9718854405) से सम्पर्क कर अपनी ट्रेड लाइसेंस की रसीद उनसे अपमा कार्यालय में आकर प्राप्त कर लें।

साथियों, अपमा कार्यालय में 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2017 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु पुनः कैम्प का आयोजन किया जाएगा। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाये है उनसे अनुरोध है कि ट्रेड लाइसेंस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर ले तथा अपमा कार्यालय में आकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें।

01. आधार कार्ड की फोटोकापी
02. आवदेक की फोटो एवं दुकान की फोटो
03. दुकान/प्रतिष्ठान का हाथ से बनाया हुआ नक्शा, Key Plan
04. किराये की रसीद
05. दुकान की रजिस्ट्री की कापी
06. बिजली बिल की कापी
07. Affidavit in Prescribed Formats.
08. Structure Safety Certificate(if Required)

जिन व्यापारी भाईयों की दुकान/प्रतिष्ठान तीन वर्ष पुरानी है तथा 20 मीटर क्षेत्रफल से कम है उनको प्रति वर्ष 500/- रुपये के हिसाब से 6 साल का शुल्क एक बार में ही जमा करवाना होगा यानि कि $500 \times 6 = 3000$ /- रुपये। इसके अलावा दूसरा Demand Draft(D.D.) “Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C Rs. 914/- का D.D.) देना है।

जो दुकाने/प्रतिष्ठान एक वर्ष पहले की है उनको $500 \times 3 = 1500$ /- राशि का एक Demand Draft(D.D.) “Commissioner, North DMC License Fees A/C के नाम का देना है इसके अलावा दूसरा Demand Draft(D.D.) “Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C Rs. 914/- का D.D.) देना है। अधिक जानकारी हेतु ट्रेड लाइसेंस के इंस्पेक्टर श्री अनिल यादव जी (मोबाइल नं0 9718854405) से सम्पर्क करें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 149 “HOLIDAY”

The Members of the Trade are informed that the Market will remain closed due to :-

01. “RAKSHA BANDHAN* on MONDAY, the 7th AUGUST, 2017”.

कृ०प०उ०.....2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 150

“अपमा निःशुल्क डिस्पेन्सरी में दवाओं का वितरण”

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई, 2017 तक जिन दानदाताओं ने अपमा निःशुल्क चिकित्सालय में जरूरतमंद मरीजों के इलाज एवं दवाईयों हेतु 3100/- रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-

01. श्री गुलशन सेठी मै0 ऑटो इलेक्ट्रीक सिंडिकेट, 1/4-बी, निकल्सन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली-110006, श्री अशोक सेठी मै0 ऑटो टर्मिनल्स(इंडिया) एवं स्व0 श्री राज कुमार सेठी मै0 सुपर स्पेयर्स ने अपनी आदरणीय पिताजी स्व0 श्री माया राम सेठी जी की चौथी पुण्य स्मृति में (19-7-2017)।
02. श्री पंकज कत्याल जी मै0 वीरा ऑटो इण्डस्ट्रोज, 1/131, गंदा नाला बाजार, कश्मीरो गेट, दिल्ली-6 अपने आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री अशोक कत्याल जी की दिनांक 28-7-2017 को पांचवी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में।

अपमा प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शान्ति दें तथा उनके परिवारों को सुख, समृद्धि व खुशहाली प्रदान करें एवं सभी अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों सहित सदैव स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त करें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 151

“अपमा के सरकूलर निकालने हेतु छपे हुए पेपरों की मांग”

व्यापारी भाईयो, आपको विदित है कि अपमा के सरकूलर अधिकतर छपे हुए सुन्दर पेपरों पर जारी होते हैं। इन पेपरों में व्यापारी भाई अपने ट्रेड के उत्पादकों की तीन इंच चौड़ी रंगीन स्ट्रिप देकर विज्ञापन का लाभ उठाते हैं। आपके PRODUCT के प्रचार का यह बहुत ही अच्छा एवं आसान तरीका है। अपमा इसमें विज्ञापनदाता से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेती है। केवल छपा हुआ कागज लेती है। अतः इच्छुक व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन के इस सुनहरे अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाकर अपमा को छपे हुए पेपर देकर सहयोग प्रदान करें एवं अपने PRODUCT का प्रचार करें।

साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जीएसटी से संबंधित जानकारियां अपने व्यापारियों को देने हेतु आपकी अपमा लगातार कई सरकूलर प्रकाशित कर रही है एवं हमारे व्यापारी भाई इन सरकूलरों को अपने रिकॉर्ड में रख रहें हैं। इसलिए इच्छुक व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि काफी मात्रा में अपने फर्म के विज्ञापन के पेपर अपमा कार्यालय में भेजें एवं अपनी फर्म का प्रचार कर इसका पूर्ण लाभ उठायें।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव